उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-10/2016/573/92-1-2016-19(अधि0)/2015
लखनऊ: दिनांक: 03 मार्च, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

श्री अशोक कुमार, अधिशासी अभियंता एवं वैयक्तिक सहायक (स्था0-3), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, मुख्यालय, लखनऊ को शासनादेश सं0-सा-4-62(1)/दस-96-604/82, दिनांक 18-3-96 एवं अन्य संगत शासनादेशों तथा एल0टी0सी0 रूल्स के अधीन दिनांक 05-3-2016 से 29-3-2016 (कुल 25 दिन) तक उनके स्वयं, पत्नी एवं दो पुत्रों सहित लखनऊ से पोर्ट ब्लेयर तक की यात्रा के लिये अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :-

(1) श्री अशोक कुमार द्वारा विभागाध्यक्ष/निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से दिनांक 05-3-2016 से 29-3-2016 (कुल 25 दिन) तक का उपार्जित अवकाश स्वीकृत कराने के उपरान्त ही पोर्ट ब्लेयर हेतु प्रस्थान किया जायेगा।

(2) श्री अशोक कुमार को उक्त् अवकाश यात्रा सुविध में रेल की उस श्रेणी का किराया अनुमन्य होगा, जिसके लिये वे यात्रा-भत्ता नियमों के अधीन दौरे पर यात्रा करने के लिये सामान्यत- अधिकृत हैं, किन्तु इस सुविधा के अन्तर्गत उन्हें वातानुकूलित कोच अथवा वायुयान से यात्रा अनुमन्य नहीं होगी।

(3) श्री अशोक कुमार को इस सुविधा के उपभोग के लिये शासनादेश सं0-सा-4-62(1)/दस-96-604/82, दिनांक 18-3-96 एवं अन्य सुगत शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार ही किराया/ अवकाश यात्रा सुविधा अग्रिम आदि की स्वीकृति तथा अवकाश यात्रा सुविधा दावे की प्रतिपूर्ति यथासमय एवं यथा नियम निदेशक एवं मुख्य अभियंता द्वारा की जायेगी।

(4) श्री अशोक कुमार द्वारा अवकाश से वापस आकर कार्यभार ग्रहण करने की सूचना शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

शिशिर कुमार यादव
विशेष सचिव।

संख्या-10/2016/573(1)/92-1-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मुख्य अभियंता (पूर्व/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- श्री अशोक कुमार, अधिशासी अभियंता एवं वैयक्तिक सहायक (स्था0-3), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, मुख्यालय, लखनऊ द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम रतन)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in